राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–901/2020

राजकुमार यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर, राज.।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–।।), अलवर, राज.।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भिनदूंसी, तह. तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश यादव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 02.02.1996 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.1996 को कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पश्चात अपीलार्थी ने एसटीसी की परीक्षा दिनांक 21.04.2005 को उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थीगण की ओर से आदेश दिनांक 11.01.2017 को जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 21.04.2014 से दिया गया है। अर्थात् अपीलार्थी को दिनांक 21.04.2005 को एसटीसी की परीक्षा पास करने के 9 वर्ष बाद की तिथि से प्रथम एसीपी का लाभ दिया गया है। जबकि अपीलार्थी ने यह अंकित किया है कि अपीलार्थी प्रथम एसीपी का लाभ नियुक्ति की दिनांक 09.02.1996 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने यह भी अंकित किया है कि राजस्थान सरकार ने परिपत्र दिनांक 02.09.2020 जारी किया है, जिसमें अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण की दिनांक से मानी गई है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.1996 से सेवा की गणना करते हुए प्रथम एवं द्वितीय एसीपी/चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रथम एसीपी दिनांक 21.04.2014 को स्वीकार की गई और एसीपी हेतु इनके 9 वर्ष की गणना दिनांक 21.04.2005 से की गई क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता एस.टी.सी. की परीक्षा दिनांक 21.04.2005 को उत्तीर्ण की गई। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश में यह शर्त वर्णित है कि ''जिन्हें इस शर्त के साथ की नियुक्ति के 3 वर्ष की अवधी में वह स्वयं के खर्चे पर एस.टी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगें।'' अपीलार्थी द्वारा एस.टी. सी. की परिक्षा वर्ष 2005 में उत्तीर्ण की गई अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर हुई है और नियमानुसार अध्यापक पद का प्रशक्षिण प्राप्त करने की दिनांक से ही एसीपी हेतु सेवा की गणना की जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 4103/1998 श्रीमती सुशीला गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में अपने निर्णय दिनांक 12.02.2013 में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधी से ही चयनित वेतनमान हेतु सेवा की गणना करने को उचित माना है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.06.2020 का हवाला दिया गया है। उक्त परिपत्र अनुकम्पा नियुक्ति मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये है, जो अपीलार्थी के प्रकरण में लागु नही होता है। अध्यापक वर्ग की नियुक्ति में योग्यता एसटीसी/बी.एड. होना आवश्यक है, जो अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति के 3 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त न कर 09 वर्ष पश्चात 2005 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसलिये अपीलार्थी को प्रशिक्षण प्राप्ति दिनांक से एसीपी का लाभ दिया गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 09.02.1996 को हुई थी, जो नियुक्ति मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में दी गई थी। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से यह शर्त रखी गई थी कि नियुक्ति के 3 वर्ष की अवधि में स्वयं के खर्चे पर एसटीसी परिक्षण प्राप्त कर लेंगे। अपीलार्थी ने एसटीसी की परीक्षा दिनांक 21.04.2005 को उत्तीर्ण की।

4. माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3861/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के

अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उनकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

5. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को देखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए अपीलार्थी चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर का भुगतान किया जाये। साथ ही अपीलार्थी को समसत पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए। इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)